रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012021-224205
CG-DL-E-05012021-224205

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2021/पौष 15, 1942
No. 27] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2021/PAUSHA 15, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2021

का.आ. 27(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 651 (अ), तारीख 04 मार्च, 2014 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

1. प्रारम्भ: ये संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल अधिसूचना में विद्यमान पैरे, अर्थात

यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1097(अ) तारीख 4 अगस्त 2005 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में रारा-6 के 239.000 किमी से 282.000 किमी तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और, यतः प्राधिकरण ने रारा-6 के रायपुर–औरंग खंड के किमी 239.000 से किमी 281.000 (डिजाइन चैनेज किमी 238.535 से किमी 282.000 तक) (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त खंड" कहा गया है), की विद्यमान 2-लेन सड़क का संवर्धन, प्रचालन एवं अनुरक्षण, पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ा करके चार लेन विभाजित राजमार्ग बनाने हेतु 09.03.2004 को प्रस्तुत बोलियों के लिए मैसर्स रायपुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी– 66, साउथ

एक्सटेंशन भाग–II, नई दिल्ली-110049 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात रियायतग्राही कहा गया है), से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर 13.10.2005 को एक करार किया है ।

अब, यत:, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड /स्थायी पुल/ अस्थाई पुल के प्रयोग हेतु शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार में उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित प्रतिफल, यातायात भार तथा किए गए करार की अवधि के संबंध में यह अधिसूचित करती है कि छत्तीसगढ़ राज्य में रारा-6 के किमी 239.000 से आरंभ होकर किमी 281.000 तक (डिजाइन चैनेज किमी 238.535 से किमी 282.000 तक) के खंड के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा तथा उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अथवा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख, जो भी बाद में हो, से करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति तिथि तक उक्त शुल्क संग्रहीत करने तथा प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात :

निम्नवत प्रतिस्थापित किए जाएंगे

यत:, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1097(अ) तारीख 4 अगस्त 2005 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में रारा-6 के 239.000 किमी से 281.000 किमी तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और, यत: प्राधिकरण ने रारा-6 के रायपुर–औरंग खंड के किमी 239.000 से किमी 281.000 (डिजाइन चैनेज किमी 238. 535 से किमी 282.000 तक) (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त खंड" कहा गया है), की विद्यमान 2-लेन सड़क का संवर्धन, प्रचालन एवं अनुरक्षण, पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ा करके चार लेन विभाजित राजमार्ग बनाने हेतु 09.03.2004 को प्रस्तुत बोलियों के लिए मैसर्स रायपुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी– 66, साउथ एक्सटेंशन भाग –II, नई दिल्ली-110049 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात रियायतग्राही कहा गया है), से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर 13.10.2005 को एक करार किया है ।

अब, यत:, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड /स्थायी पुल/ अस्थाई पुल के प्रयोग हेतु शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार में उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित प्रतिफल, यातायात भार तथा किए गए करार की अवधि के संबंध में यह अधिसूचित करती है कि छत्तीसगढ़ राज्य में रारा-6 के किमी 239.000 से आरंभ होकर किमी 281.000 तक (डिजाइन चैनेज किमी 238.535 से किमी 282.000 तक) के खंड के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा तथा उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अथवा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख, जो भी बाद में हो, से करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति तारीख तक उक्त शुल्क संग्रहीत करने तथा प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात :

3. टोल प्लाज़ा अवस्थान को अनुसूची में निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा

"निम्नलिखित टोल प्लाज़ा पर शुल्क संग्रहीत किया जाएगा :—

क्रम संख्या	टोल प्लाज़ा का अवस्थान	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
1.	चैनेज 258.650 पर (रायपुर जिले में मंदिर हसौड़ के निकट)	43.465"

4. अनुसूची की टिप्पणियों 1(iii) तथा 1(iv)को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"स्थानीय निजी यातायात" से अभिप्राय उस निजी वाहन से है जिसका पंजीकरण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के पास करवाया गया है जो सामान्यत: उस स्थान पर रहता अथवा कार्य करता है जहां पर उक्त खंड के

हिस्से का प्रयोग करते हुए ही पहुंचा जा सकता है। अतः उस व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने निवास स्थान अथवा कार्य स्थल तक सामान्यतः आने-जाने के लिए उस वाहन का प्रयोग उक्त खंड के हिस्से पर करे।

"स्थानीय वाणिज्यिक यातायात" से अभिप्राय यात्री या माल वाहक बस, ट्रक, हल्का मोटर यान अथवा टैक्सी जैसे किसी वाणिज्यिक वाहन से है जो उक्त खंड पर नियमित रूप से चलाया जाता है और रियायतग्राही के पास पंजीकृत है।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/547/सीआई/2020-21/रायपुर-औरंग बीओटी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2021

S.O. 27(E).— In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) No. S.O. 651 (E) dated 4th March 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), namely:

1. **Commencement:** These amendments shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Existing para in original notification, namely

Whereas, the Central Government by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 1097 (E), dated the 4th August, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority Act, 1988 (68 of 1988), entrusted the stretch from km. 239.000 to km 282.000 of National Highways No. 6 in the State of Chhattisgarh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

AND, WHEREAS, the Authority has entered into an agreement on 13.10.2005 with M/s Raipur Expressway Ltd. having its registered office at C-66, South Extension Part-II, New Delhi-110049 (hereinafter referred to as the Concessionaire), for the bids submitted on 09.03.2004, for the Improvement, Operation and Maintenance, Rehabilitation and Strengthening of existing 2-lane road and widening to 4 lane divided highway from Km 239.000 to Km 281.000 (design chainage from Km 238.535 to Km 282.000) (hereafter referred to as the "said section") of the Raipur-Aurang of the National Highway No. 6 on Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the user of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the section starting from Km 239.000 to Km 281.000 (Design Chainage from Km. 238.535 to Km. 282.000) of the National Highways No. 6 in the State of Chhattisgarh at the rates specified in the Schedule below and authorizes the said concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement, namely:

Will be substituted as

Whereas, the Central Government by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O.1097 (E), dated the 4th August, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority Act, 1988 (68 of 1988), entrusted the stretch from km 239.000 to km 281.000 of National Highway No. 6 in the State of Chhattisgarh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

AND, WHEREAS, the Authority has entered into an agreement on 13.10.2005 with M/s Raipur Expressway Ltd. having its registered office at C-66, South Extension Part-II, New Delhi-110049 (hereinafter referred to as the Concessionaire), for the bids submitted on 09.03.2004, for the Improvement, Operation and Maintenance,

Rehabilitation and Strengthening of existing 2-lane road and widening to 4-lane divided highway from Km 239.000 to Km 281.000 (design chainage from Km 238.535 to Km 282.000) (hereafter referred to as the "said section") of the Raipur-Aurang of the National Highway No. 6 on Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by the section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the user of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the section starting from Km 239.000 to Km 281.000 (Design Chainage from Km. 238.535 to Km. 282.000) of the National Highways No. 6 in the State of Chhattisgarh at the rates specified in the Schedule below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation till the termination date as specified in the agreement, namely:

3. Toll Plaza location in Schedule shall be substituted as under

"*The fee shall be collected at following Toll Plaza:—*

S.No.	Location of Toll Plaza	Length (in Km) for which fee is payable
1.	At chainage 258.650 (near Mandir Hasoud in District Raipur)	43.465"

4. Notes 1 (iii) and 1 (iv) of the Schedule, shall be substituted as under:

"Local Personal Traffic" means and includes a person vehicle which is registered with the Concessionaire, by any person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the said section and such person is, therefore, required to use such vehicles for commuting on a part of the said section, in the course of normal travel to and from his place of the work or residence;

"Local Commercial Traffic" means any commercial vehicles including buses, trucks, light motor vehicles or taxis engage in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the said section.

[F. No. NHAI/13013/547/CI/2020-21/Raipur-Aurang BOT]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.05 21:01:32 +05'30'